न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)
क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 195/2019/टोंक (2019/00195)

मोतीलाल पुत्र श्री गोपीलाल जाति मीणा उम्र 61 वर्ष निवासी किशनगंज तहसील उनियारा पुलिस थाना बनेठा, जिला टोंक।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
आदेश कमांक न्याय/शअपत्र/नवीनीकरण/2012/5840 दिंनाक 10–4–2013

————

उपस्थितः 1– श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 28–2–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम से जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा शस्त्र लाईसेंस संख्या 99/719/डी.एम.के. एवं शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 396 जारी किया गया था जिसका लाईसेंस अनुज्ञा पत्र समय–समय पर नियमानुसार लाईसेंस फीस जमा कराये जाने पर नवीनीकरण होता आ रहा था। अपीलार्थी ने उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को पुनः नवीनीकरण कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 3–12–2011 को जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट दिनांक 15–5–2012 के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण होना मानकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने का प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 10–4–2013 से निरस्त कर दिया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी द्वारा उक्त लाईसेंस में दर्ज 12 बोर गन एस.बी.बी.एल.न. 21069/97 को पुलिस थाना बनेठा में जमा करवा दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला

मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश दिनांक 10–4–2013 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक से रिपोर्ट तलब कर नवीनीकरण के संबंध में सूचना देने हेतु कहा जिसके पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31–10–2011 पर दिनांक 29–11–2011 को रिपोर्ट प्राप्त की गई। उसके पश्चात अपीलार्थी को प्रकरण में आगामी पेशी की कोई सूचना न्यायालय द्वारा नहीं दी गई।

अपलार्थी द्वारा जानकारी चाहने पर कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अवगत कराया गया कि नवीनीकरण आदेश के संबंध में आपको सूचित कर दिया जायेगा। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय टोंक द्वारा दिनांक 10–4–2013 को आदेश पारित कर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। उक्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गई जिस कारण अपीलार्थी को उक्त आदेश की विधिवत जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थी दिनांक 18–7–2013 को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के कार्यालय में प्रकरण की जानकारी करने गया तो पता चला कि उसका शस्त्र नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 10–4–2013 को खारिज हो चुका है। उक्त आदेश की प्रति लेने हेतु उसी दिन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी को उक्त आदेश की नकल दिनांक 22–8–2013 को प्राप्त हुई जिसे लेकर अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर यह अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक रेकार्ड दर्ज है जबकि इस संबंध में दिनांक 13–1–2012 को जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था कि मुकदमा नम्बर 49/2000 दिनांक 26–6–2000 को धारा 341, 323, 34 आई0पी0सी में थाना बनेठा में पंजीकृत होका चार्जशीट नं0 58/2000 में दर्ज की जाकर चालान ए0सी0जे0एम0 उनियारा में पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय में प्रकरण संख्या 542/2000 सरकार बनाम मोतीलाल दर्ज हुआ जिसमें माननीय न्यायालय उनियारा द्वारा दिनांक 2–8–2013 को अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है। इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अपीलार्थी को अपराधी मानते हुए उसका अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जो साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 396 दिनांक 4–12–2002 से 3–12–2005 तक के लिए नवीनीकरण किया गया एवं उसके पश्चात दिनांक 3–12–2011 तक नवीनीकरण होता आ रहा था। इस दौरान कोई भी आपराधिक गतिविधि अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई और न ही कोई गतिविधि में लिप्त रहा। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा जिस मुकदमें का आधार लेकर अपीलार्थी का नवीनीकरण अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है वह प्रकरण वर्ष 2000 का है और इसका अंतिम निस्तारण भी दिनाक 2–8–2003 को ही किया जाकर अपीलार्थी को दोषमक्त घोषित किया जा चुका है।

अपीलार्थी के अभिभाषक का यह भी कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 16–9–2010 एवं 27–3–2012 दोनों में ही यह स्पष्ट अंकित है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज जरूर हुआ है लेकिन ए0सी0जे0एम0 न्यायालय द्वारा दिनांक 2–8–2003 को ही अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है और यह भी अंकन है कि अपीलार्थी आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं है और न ही कभी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहा है और यह भी रिपोर्ट में अंकित है कि अपलार्थी का आचरण व आमशोहरत अच्छी है तथा वर्ष 2003 के पश्चात अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र वर्ष 2011 तक लगातार नवीनीकृत होता आ रहा है। उक्त सभी तथ्यों की जानकारी होने पर भी जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपलार्थी खेतीहर काश्तकार है और उनका खेत गांव से लगभग 3–4 कि0मी0 दूरी पर भिन्न–भिन्न स्थानों पर स्थित है जिसकी देखभाल करने हेतु अपीलार्थी को रात्रि में आना–जाना पड़ता है ऐसे में स्वयं की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता रहती है। अपीलार्थी एवं उसके परिवार ने कभी भी पिछले 20 वर्षो में लाईसेंस गन का

दुरूपयोग नहीं किया है और न ही भविष्य में कभी दुरूपयोग करेगा। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 10–4–2013 को निरस्त कर अपीलार्थी क नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 99/719 एवं अनुज्ञा पत्र संख्या 396 को अपीलार्थी के नाम नवीनीकरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 175 दिनांक 15–5–2012 में अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक रिकार्ड होना आधार मानकर आगामी अवधि के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से पूर्व शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 99/719 डी. एम.के. एवं नये शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 396/अन्य को निरस्त किया है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 10–4–2013 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15–5–2012 में अंकित किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। अतः शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारी के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रेकार्ड होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक पूर्व की रिपोर्ट दिनांक 28–5–2010, 27–3–2012 का अवलोकन किया गया उसमें भी अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकार्ड के आधार पर नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। अपीलार्थी ने अपील मीमो में स्वयं यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी एवं उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने 20 वर्षो में कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है। पत्रावली के अवलोकन से एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह परिलक्षित नहीं होता है कि अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का जान व माल का कभी खतरा हुआ हो।

जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपने आदेश क्रमांक 5840 दिनांक 10–4–2013 द्वारा लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एवं अपीलार्थी को किसी प्रकार से जानमाल का खतरा नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 99/719/डी. एम.के एवं नये शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 396 को निरस्त कर थाना बनेठा जिला

टोंक में जमा कराने का आदेश पारित किया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) टोंक का आदेश क्रमांक/न्याय/शअपत्र/नवीनीकरण/2012/5840 दिनांक 10–4–2013 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर